अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली वास्ते
पूर्वानुसार दिनांक.....5.....को पेश हो।
28 2025

28.5.2025

प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 CPC पर बहस अंतिम प्रार्थी अभिभाषक सरक्षा। की सुनी जा चुकी है। प्रार्थी अभिभाषक द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र व अप्रार्थीगण अभिभाषक द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को बहस में दोहराया गया। हमारें द्वारा पत्रावली मे पेश दस्तावेज, प्रार्थना-पत्र व जवाब प्रा० पत्र का अवलोकन किया गया। राजस्व वाद सं. 74/2006 अनवान शंकरलाल बनाम चिमन लाल वगैरा अन्तर्गत धारा 88-53 आर टी ए निर्णय दिनांक 30.11.2026 से वादी व प्रतिवादी के नाम से चक 15 पी टी पी के खाता सं: 18/17 खाता चिमन लाल आदि में डिक्री पारित की गई। दिनांक 11.6.2014 को प्रार्थी चिमन लाल पुत्र नत्थू राम जाति-जाट निवासी ढाणी चक 15 PTP तहसील संगरिया की ओर से प्रार्थना-पत्र आदेश 9 नियम 13 CPC इस आशय का पेश किया गया की प्रार्थी को सम्मन की तामिल पर सपार द्वारा यह नोट अंकित किया गया की सायल खुद नही मिला सम्मन की एक प्रति सायल के पुत्र को दी गई। जो सयुक्त परीवार मे रहता है

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थी को यह सम्मन तारीख पेशी 8.6.2006 के लिए दिया गया था। न्यायलय द्वारा प्रार्थी की तमिल मानते हुये दिनांक 8.6.2006 को एक पक्षीय कार्यवाही निरस्त कर प्रार्थी को के आदेश जारी किए गये। अत: दिनांक 8.6.2006 को पारित निर्णय व डिक्री व प्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही निरस्त कर प्रार्थी को जवाबदेही का अवसर प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया। चूंकि सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार प्रार्थी पर विधि सम्मत तामिल हुई थी, लेकिन प्रार्थी निर्धारित तारीख पेशी पर न्याय-लय में उपस्थित नही हो पाया और न्याय-लय द्वारा विधि सम्मत एक पक्षीय कार्यवाही अम्ल में लाई गई। तदुपरांत बाद की समस्त कार्यवाहीया सम्पादन उपरांत दिनांक 30.11.2006 को निर्णय व डिक्री पारित कि गई। भूमि रिकार्ड के अध्ययन मे स्पष्ट है की जिसके बाद दिनांक 21.08.2008 को प्रार्थी द्वारा इंतकाल संख्या 356 द्वारा रहन फक का इंतकाल भी करवाया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को उक्त डिक्री का भलीभांती ज्ञान था। इसके उपरांत भी दिनांक 11.6.2014 को 7 वर्ष से अधिक समय व्यतीत करने के बाद भी प्रार्थी द्वारा सक्षम न्यायलय में आपील न कर उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 CPC पेश किया गया जो इस अवस्था मे प्रार्थी स्पष्ट कथन कर रहा है यह तथ्य सन्देह से परे सिद्ध नही होता एव दुर्भावना से ग्रसित प्रतीत होता है इस कारण प्रार्थी का उक्त प्रा० पत्र आ० 9 नियम 13 CPC स्वीकार करना तर्क संगत प्रतीत नही होता। अत: प्रा० पत्र आदेश 9 नियम 13 CPC नियमानुसार खारिज किया जाता है।	